

सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीरी)

पिलानी - 333 031 (राजस्थान)

कार्यालय जापन

संख्या: प्रनि./समितियां/22(31)

दिनांक: 13/08/2026

विषय: फर्नीचर मदों की अनुमेय लागत के संबंध में दिशा-निर्देश/रोडमैप तैयार करने हेतु समिति का गठन - संबंध में।

संस्थान में विभिन्न स्तरों, आवश्यकताओं एवं श्रेणियों के अनुरूप फर्नीचर मदों पर होने वाले व्यय के निर्धारण हेतु संस्थागत सतर्कता सुनिश्चित करने तथा एक तर्कसंगत एवं समान आधार स्थापित करने के उद्देश्य से, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के अनुमोदन से निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री प्रमोद कुमार तंवर, वैज्ञानिक-एफ | — | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. नीरज कुमार, वैज्ञानिक-एफ | — | सदस्य |
| 3. डॉ. संजय सिंह, वैज्ञानिक-एफ | — | सदस्य |
| 4. डॉ. हसीना खातून, वैज्ञानिक-एफ | — | सदस्य |
| 5. प्रशासन नियंत्रक | — | सदस्य |
| 6. श्री राहुल महरडा, अ.अ.(वि. एवं ले.) | — | सदस्य |
| 7. श्री हरदेव सिंह, अधिशासी अभियंता (सिविल) | — | संयोजक |

संदर्भ-कार्य (Terms of Reference)

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. फर्नीचर मदों पर होने वाले व्यय से संबंधित उपलब्ध मौजूदा प्रथाओं/दिशा-निर्देशों का परीक्षण करना।
2. प्रासंगिक सरकारी दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना तथा, जहाँ उपयुक्त हो, रेल मंत्रालय द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों/प्रथाओं का भी संदर्भ लेना।
3. संस्थान के लिए प्रासंगिक फर्नीचर मदों के विभिन्न स्तरों, आवश्यकताओं एवं श्रेणियों की पहचान करना।
4. विभिन्न स्तरों, आवश्यकताओं एवं श्रेणियों के अनुरूप विभिन्न फर्नीचर मदों के लिए उचित एवं तर्कसंगत अनुमेय लागत सीमा/परास का सुझाव देना।
5. सीएसआईआर-सीरी में फर्नीचर मदों की खरीद एवं बजट निर्धारण हेतु अपनाए जाने योग्य उपयुक्त रोडमैप/दिशा-निर्देश की अनुशंसा करना।
6. फर्नीचर पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता, एकरूपता, पारदर्शिता एवं उचित बजट योजना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपायों का सुझाव देना।

समिति उक्त विषय का व्यापक परीक्षण कर अपनी संस्तुतियाँ/रोडमैप 18 अगस्त 2026 तक निदेशक, सीएसआईआर-सीरी को प्रस्तुत करेगी।

समिति अपने सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित प्रभागों/अधिकारियों से परामर्श कर सकती है तथा आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकती है।

यह कार्यालय जापन निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मधुरंजन
(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. संबंधित समिति के सभी सदस्यों को
2. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के निजी सहायक को
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक
4. कार्यालय प्रति

**CSIR-CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE (CSIR-CEERI)
PILANI - 333 031 (RAJASTHAN)**

OFFICE MEMORANDUM

No.: CoA/Committees/22(31)

Date: 13/08/2026

Subject: **Constitution of Committee for Formulation of Guidelines/Roadmap for Allowable Costs of Furniture Items - Reg.**

In order to ensure institutional diligence and to establish a rational and uniform basis for determining expenditure on furniture items at different levels, requirements and categories, a Committee is hereby constituted with the approval of the Director, CSIR-CEERI as under:

- | | |
|--|----------|
| 1. Shri Pramod Kumar Tanwar, Scientist-F | Chairman |
| 2. Dr. Neeraj Kumar, Scientist-F | Member |
| 3. Dr. Sanjay Singh, Scientist-F | Member |
| 4. Dr. Hasina Khatun, Scientist-F | Member |
| 5. Controller of Administration | Member |
| 6. Shri Rahul Maharda, SO (F&A) | Member |
| 7. Shri Hardev Singh, EE (Civil) | Convener |

Terms of Reference

The Committee shall:

1. Examine the existing practices/guidelines, wherever available, relating to expenditure on furniture items.
2. Study relevant Government guidelines, including suitable reference to guidelines/practices followed by the Ministry of Railways, as applicable.
3. Identify different levels, requirements and categories of furniture items relevant to the Institute.
4. Suggest reasonable and justifiable allowable cost limits/ranges for various furniture items corresponding to different levels, requirements and categories.
5. Recommend a suitable roadmap/guideline for procurement and budgeting of furniture items for adoption at CSIR-CEERI.
6. Suggest any other measures considered necessary for ensuring economy, uniformity, transparency and proper budget planning in expenditure on furniture.

The Committee shall examine the matter comprehensively and submit its recommendations/roadmap to the Director, CSIR-CEERI by 18 August 2026.

The Committee may consult the concerned divisions/officials and obtain relevant information/documents, wherever considered necessary, for completion of the assigned task.

This issues with the approval of the Director, CSIR-CEERI.


(Madhuranjan Pandey)
Controller of Administration

Copy to:

1. All concerned committee members
2. PA to Director, CSIR-CEERI
3. Sr. CoFA
4. Office Copy